



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39265

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2543/2026

जितेंद्र प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आदितेंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आदितेंद्र सिंह ने निवेदन किया है कि, उनके अनुसार, मूल वेतन पर वापस भेजने का विवादित आदेश रिट याचिकाकर्ता के मामले में कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके विचार में इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है; रिट याचिकाकर्ता यूपी सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के आलोक में एक अपील दायर करने का प्रस्ताव करता है और, यदि अपील दायर की जाती है, तो उसका निपटारा अत्यंत शीघ्रता से किया जाए।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है; यदि 27.02.2026 तक अपील दायर की जाती है, तो उसका निपटारा छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”